मोटूरि सत्यनारायण
वी. राजू
श्रीराम शर्मा, राहुल जी
Esperanto

INDEX

Name :
Std. : Div. : Roll No. :
Sub. :
School :

Sundaram® Books for Success...

Sr. No.	Date	Subject	Page No.	Sign.
		• पारिभाषिक शब्दावली		
		• वैज्ञानिक लेखन		
		मुळे, नारळीकर		
		• वैज्ञानिक विकास		
		• तकनीकी विकास		
		• राजभाषा		
		• राष्ट्रभाषा		
		बिस्मिल		

Scanned by CamScanner

Subject	Page No.	Sign.

पारिभाषिक शब्दावली :

भाषा के आधुनिकीकरण एवं वैज्ञानिक कथन हेतु अनिवार्य संदर्भ (क्षेत्र) विशेष में विशिष्ट वस्तुनिष्ठ अर्थ धारण करने वाले शब्द।

1) अभिधार्थ में ही ग्रहण किये जाते हैं।
2) विषय सापेक्षता एक अनिवार्य गुण है।
3) अर्थों का सूक्ष्मीकरण महत्वपूर्ण होता है।
ताप, ऊष्मा, ऊष्णता भिन्न-भिन्न अर्थ धारण करते हैं।

इतिहास

1) मध्यकाल में शिवाजी द्वारा प्रयास किया गया।
2) राजेन्द्रलाल मित्र बंगाल सरकार के आदेशानुसार 1871 में संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं।
3) काशी नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में 1901 में हिन्दी साइंटिफिक ग्लोसरी का प्रकाशन हुआ।
4) व्यक्तिगत स्तर पर डॉ. रघुवीर ने 4 खण्डों में 'अखिल भारतीय महाकोश' का निर्माण किया। संस्कृतनिष्ठता के कारण एक ही शब्द अनेक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त हो सकता था। देवनागरी के साथ-साथ अन्य लिपियों का भी समावेश किया गया।

- 4 लाख से भी अधिक
- वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि अनेक विषयों को समेटा गया है।

5) स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा 1950 में बोर्ड ऑफ सैन्टिफिक टरमिनोलोजी, 1961 में संविधान के 357 अनुच्छेद के आधार पर वैज्ञानिक एवम् तकनीकी शब्दावली आयोग, तथा विधायी शब्दावली आयोग की स्थापना की गयी।

पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सम्प्रदाय

1) राष्ट्रीयतावादी, शुद्धतावादी या पुनरुद्धारवादी

संस्कृत शब्दों को स्वीकारा जाए या संस्कृत की धातुओं, प्रत्ययों, उपसर्गों के आधार पर नये शब्द बनाए जाएं। डॉ रघुवीर इसी मत के हैं।

2) अदानवादी या अन्तर्राष्ट्रीयतावादी सम्प्रदाय

इनके अनुसार अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी में लिखना चाहिए। वैज्ञानिक जगत के लोग जैसे बीरबल साहनी इस मत के पोषक थे।

3) लोकवादी

लोकप्रचलित शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। हिन्दी - उर्दू को मिलाकर नये शब्दों का निर्माण किया जाना चाहिए। पंडित सुंदरलाल, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद; हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी, इलाहबाद जैसी संस्थाएं इस सम्प्रदाय का समर्थन करती रही हैं।

reaction = पलटकारी
stabilise = स्थिरियाना।

पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी सुझाव

किसी मत के प्रति दुराग्रह रखने से बेहतर है कि समन्वयवादी दृष्टिकोण का अंगीकार किया जाए।

वैज्ञानिक एवम् तकनीकी शब्दावली आयोग भी इसी मत का समर्थक रहा है।

1) संस्कृत में उपलब्ध, ऐसे शब्दों को स्वीकृत किया जाए जो प्रचलन में हो।

जैसे: calculus (कलन), surgery (शल्य चिकित्सा)

2) अर्थ विस्तार और अर्थ-संकोच के द्वारा कुछ शब्द संस्कृत से ग्रहण किये जाएँ, जैसे:

आकाश [illegible] विस्तर

संसद [illegible]

> लल्लू जी लाल ने 3500 वैज्ञानिक शब्दों की सूची बनायी।

3) अन्य [illegible] जाएँ-

पावर्त [illegible]

4) कुछ शब्दों का अनुवाद किया जाए -

white paper = श्वेत-पत्र

5) उपर्युक्त सूत्रों के अलावा, अन्य शब्दों को अंग्रेजी से स्वीकार कर लिया जाए। ऐसा करते हुए, उनका उच्चारण, प्रयुक्त उपसर्ग-प्रत्यय हिन्दी के अनुकूल यथा-संभव बनाया जाए

अकादमी
तकनीक
रजिस्ट्रीकृत
वोल्टता

6) कुछ शब्द ज्यों के त्यों लिए जाएँ

वोल्टमीटर, कार्बन, पेट्रोल

जिनका अनुवाद जटिल हो या जो पहले से प्रचलित हो।

वैज्ञानिक शब्दावली के स्वीकृत नियम

1) पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हो।
2) हलन्त का प्रयोग न किया जाए।
3) कठिन संधियों से बचा जाए।
4) अनूदित शब्दों को प्रायः पुल्लिंग माना जाए।
5) गणित एवम् विज्ञान के प्रतीक रोमन में ही लिखे जाएँ।

cm, kg, Kelvin इत्यादि

मूल्यांकन

1) वैज्ञानिक एवम् तकनीकी शब्दावली आयोग ने न केवल सूत्रों को स्पष्ट रूपेण प्रस्तुत किया है, बल्कि लगभग 5 लाख

Scanned by CamScanner

शब्दों का अनुवाद भी किया है।

2) इस प्रकार प्रत्येक विषय में सभी शब्द हिन्दी में उपलब्ध हैं। इस कारण हिन्दी वैज्ञानिक लेखन हेतु पूर्णतः अक्षम बन गयी है। लगभग प्रत्येक आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र के लिए हिन्दी समर्थ है।

3) किन्तु कुछ समस्याएं भी लक्षित की जा सकती हैं।

(i) वैज्ञानिक प्रगति की गति तीव्र होती जा रही है और पारिभाषिक शब्दों का निर्माण अपेक्षाकृत कम तेजी से होता है।

(ii) अनेक शब्दों के हिन्दी पर्याय मौजूद तो हैं किन्तु उनका प्रयोग नहीं किया जाता।

(iii) कुछ शब्दों के एक से अधिक पारिभाषिक शब्द बन गए हैं। इसका कारण राज्यों के स्तर पर उत्पन्न हुई भिन्नताएँ हैं। मुख्यतया विधायी शब्द/ प्रशासनिक डायरेक्टर ~~निदेशक~~ संचालक

अतः आवश्यकता है कि सरल, सहज और हिन्दी के अनुकूल शब्दों का निर्माण हो, अनेकरूपता की समस्या का हल हो, प्रयोग की बाध्यता उत्पन्न की जाए और नियमित रूप से नूतन शब्द-निर्माण होता रहे।

डॉ. रघुवीर का योगदान

मानदंड निर्धारित किये :

1) शब्द अर्थवान हो

2) एक ही मुख्यार्थ होना चाहिए। उपसर्ग-प्रत्यय के आधार पर ~~पाठ~~ संबंधित शब्दों का निर्माण हो। विधि, वैध, अवैध, विधिवत

3) शब्द संक्षिप्त हो।

संकेतक = Signal

4) लैटिन व संस्कृत की समानांतरता का प्रयोग करना चाहिए।

Pendant = परिपुष्प

हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन

1) लगभग दो सौ वर्ष पुरानी सुदृढ़, सुदीर्घ परंपरा है। आम-जन में विज्ञान का प्रसार करने हेतु प्रबुद्ध हिन्दी मनीषियों ने यह कार्य प्रारंभ किया।

2) इस क्रम में एक तो हिन्दी भाषा वैज्ञानिक लेखन के लिए पूर्णतः सक्षम बन गयी है तो साथ ही विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर स्तरीय सामग्री उपलब्ध हो गई है।

(पाठ्यपुस्तक)

3) सबसे पहले विद्यालय के स्तर पर पठन हेतु पुस्तकों का निर्माण हुआ। 1847 में स्कूल बुक सोसायटी, आगरा द्वारा "रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर" का प्रकाशन हुआ। कायस्थ राजकीय पाठशाला के गणित अध्यापक पं. लक्ष्मीशंकर मिश्र ने 'सरल त्रिकोणमिति', 'स्थिति विद्या', 'गति विद्या' जैसे ग्रंथों का लेखन किया। पंडित सुधाकर द्विवेदी की पुस्तक चलन कलन और विश्वंभरनाथ शर्मा की रसायन संग्रह भी उल्लेखनीय है।

4) गुरुकुल काँगड़ी (1900) ने विज्ञान सहित सभी विषयों की शिक्षा हेतु हिन्दी को माध्यम बनाया और 17 पुस्तकों का प्रणयन किया।

(नवजागरण)

1) नवजागरण के प्रसार हेतु वैज्ञानिक चेतना के विकास को आवश्यक समझा गया और समाज को संस्कारित करने हेतु साइंटिफिक सोसायटी, अलीगढ़, वाद विवाद क्लब बनारस जैसी संस्थाओं ने वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित किया। (1) पं. गुलेरी, पं. शुक्ल ने भी अनेक निबंध, प्रबंध लिखे।

(वैज्ञानिक पत्रिकाएं)

इलाहाबाद में 1913 में स्थापित विज्ञान परिषद ने 'विज्ञान पत्रिका' का आरंभ किया जो निरंतर प्रकाशित होती रही है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं की नींव रखी गयी, जो हिन्दी में पत्रों का प्रकाशन करती है। इनमें प्रमुख है—

Scanned by CamScanner

5) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एन.सी.ई.आर.टी ने सभी कक्षाओं हेतु पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया, जिसमें गुणाकर मुले जी का योगदान अविस्मरणीय है।

मूल वैज्ञानिक ग्रंथ

पाठ्य पुस्तकों से इतर मूल वैज्ञानिक ग्रंथों की संक्षिप्त सूची प्रस्तुत है। उदाहरण

डॉ. निहाल किरण सेठी	चुम्बकत्व और विद्युत्व, प्रकाश विज्ञान
डॉ. ब्रजमोहन	ठोस ज्यामिति
मानवेन्द्र सिन्हा	अंतरिक्ष के प्रयोग
डॉ सत्यप्रकाश	सामान्य रसायन शास्त्र

अनुदित ग्रंथ

डॉ. सेठी	रासायनिक गणनाएँ
ओमप्रकाश वर्मा	चिरसम्मत यांत्रिकी

जयंत नारलीकरण - ब्रह्मांड की यात्रा, वायरस, तारों की जीवन गाथा, भारत की विज्ञान यात्रा, धूमकेतु

इस प्रकार हिन्दी में पारिभाषिक शब्द निर्मित हो चुके हैं तथा प्रत्येक वैज्ञानिक विषय पर हिन्दी में लिखा भी जा रहा है। किन्तु अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा हिन्दी में अकादमिक शोध पत्रों के लेखन की परंपरा बहुत विरल है।

यदि हमें विज्ञान को जन-सामान्य से जोड़ना है और नूतन आविष्कार करने हैं तो इस क्षेत्र में वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner

गुणाकर मुळे

जयंत विष्णु नारळीकर

Scanned by CamScanner

हिन्दी का वैज्ञानिक एवम् तकनीकी विकास

हिन्दी में मानकीकरण, लिपि का मानकीकरण, व्यवस्थित व्याकरण तथा पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण काफी संतोषजनक है। अतः वैज्ञानिक लेखन हेतु हिन्दी पूर्णतः उपयुक्त भाषा बन गयी है। आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में अधिकाधिक लेखन को प्रोत्साहित करने की।

अनेक अनुवाद भी किए जा रहे हैं। विदेशी तथा भारतीयों द्वारा लिखित अंग्रेजी की पुस्तकों, लेखों, शोध-पत्रों से।

तकनीकी विकास

तकनीकी विकास से तात्पर्य है - यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग हेतु भाषा को अनुकूल बनाना। इसे दो चरणों में बाँटा जा सकता है।

1. कॉम्प्युटर प्रयोग पूर्वयुग - टाइपरायटर के दौर में हिंदी के टंकन हेतु रेमिंग्टन तथा अंडरवुड जैसी कंपनीयों के टाईपरायटर उपलब्ध थे। यह टंकण का जटिल, कालातीत व क्लीष्ट तरीका है। क्योंकी मूलतः इनके कुंजीपटल अंग्रेजी हेतु निर्मित किये गये थे। अतः इनपर टंकन सीखना श्रमसाध्य है।

ऐसी स्थितीमें डॉ. रघुवीर, डॉ. कतेर, डॉ. बाबुराम सक्सेना आदी विद्वानोंने कुछ नीजी कंपनीयोंकी सहायता से 174 संकेतों वाला कुंजीपटल बनाया जो हिंदीके अनुकूल था।

इसके उपरांत भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा इनस्क्रीप्ट टंकण प्रणाली का आविष्कार हुआ।

फोनेटिक टाइपिंग हिंदी टंकण हेतु सबसे सरल तथा वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित तरीका है। इसे सिखनेमें बिलकुल समय नही लगता। यह देवनागरी के ध्वन्यात्मक,

Scanned by CamScanner

गुणपर आधारित है। यदी राम टंकित करना हो तो सीधे RAM टाईप करना होता है। इंटरनेटपर अधिकतर प्रयोगता इसीका प्रयोग करते है। हालेंकी कुछ विद्वान इसके पक्षमें नही है। क्योंकी इसके प्रयोग हेतु रोमन लिपी का ज्ञान आवश्यक होता है। इसे हिंदीनी तथा सुगमनागरी जैसे ऑनलाईन टूल अथवा बराहा IME जैसे ऑफलाईन टूल द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है।

इनस्क्रिप्ट

यह भारतीय मानक ब्युरो द्वारा मान्यताप्राप्त भारतकी अधिकारीक टंकन पद्धति है। राजभाषा विभागद्वारा इसका निर्माण किया गया।
प्रत्येक कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, मोबाईल फोन पर यह पुंजीपटल स्वत: मौजुद होना आवश्यक है। इसमें पुंजीयोंका संयोजन इस तरह किया गया है की तेज गती से टंकण किया जा सके। इसका आधार वैज्ञानिक है। दायी ओर के अक्षर रखे गए है, जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होते है। इसमे काम करने के लिए बहुत कम पुंजीयोंको याद रखना पडता है।
हर पूर्ण अक्षर के बाद हल चिह्न दबानेसे अर्धाक्षर निर्मित हो जाता है।

(मध्यवर्ती तथा पंक्तिमें — margin note)

नुक्ते व बिंदु के लिए समापन कोष्ठक वाली कुंजी का प्रयोग होता है।
इनस्क्रिप्टसे लिप्यंतरण (transliteration) करना भी बहोत आसान होता है। भारतीय भाषाओंकी लिपीयाँ भलेही भिन्न भिन्न हो, किंतु वर्णमाला एकही है। इनस्क्रिप्ट इस विशेषता का उपयोग करता है। उदाहरण हेतु यदी भारत टाईप करना हो तो उन्हीं पुंजीयों का प्रयोग कर देवनागरी, गुजराथी, पंजाबी आदी लिपीयों में टंकण हो सकता है। और एक लिपी से दुसरीमें परीवर्तन किया जा सकता है।

हिंदी टंकण की समस्याऐं —

1. पुंजीपटलके मानकीकरण की समस्या – भारत सरकारने इनस्क्रिप्ट पुंजीपटल को

मानक के रूप में स्विकारा है। किंतु इसका प्रचलन अभी सर्वमान्य नहीं हुआ है। अत: किबोर्ड के वैविध्य के कारण हिंदी टंकण सीखना तथा प्रयोग करना कठिन हो गया है।

२. कुंजीपटल पर देवनागरी अक्षर छपे नहीं होते। सरकार चाहे तो आदेश देकर इस समस्याका समाधान कर सकती है।

~~फॉन्ट्स की समस्या -~~

3. फॉन्ट्सकी समस्या -

यदी हम एक फॉन्ट में टंकित फाइल दुसरे उपकरणपर खोलना चाहे और यदी वह फॉन्ट उस दुसरे उपकरण में मौजूद ना हो तो फाइल नही खुल सकती।

४. सॉफ्टवेअर की समस्या -

हिंदी में टाइपिंग के अनुकूल सॉफ्टवेअर की निर्माण की आवश्यकता है। मायक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे सॉफ्टवेअर मूलत: अंग्रेजी के लिए बनाया गया है।

टेलिप्रिंटर

भारतीय डाक-तार विभाग के लिए १९६० में हिंदुस्थान टेलिप्रिंटर नामक सरकारि कंपनि ने देवनागरी के अनुकुल टेलिप्रिंटर का निर्माण किया।

फैक्स के अविष्कार ने सभी भाषा और लिपियोंको एक पायदान पर ला खड़ा किया।

कंप्यूटर युग

१) टंकण प्रणाली -

See Above.

२) एप्लिकेशन सॉफ्टवेअर -

इसके अंतर्गत शब्दसंसाधन एवं आंकडा संसाधनका समावेश होता है। शब्दसंसाधन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगती हुई है। १९८८ में हैदराबादकी E.S.I.L

नामक सरकारी कंपनीने सर्वप्रथम फोर्ट्रान नामक कॅम्प्युटर भाषामें हिंदी को कॉम्प्युटरपर उतारा। सिद्धार्थ और लिपी जैसे मशीन तथा शब्दमाला जैसे कार्यक्रम निर्मित हुए। राजभाषा विभागने शब्दरत्न अक्षर सुलेखन जैसे सॉफ्टवेअरोंका निर्माण किया। पत्र, रिपोर्ट लेख, लेखन जैसे शब्द संसाधन के प्रमुख कार्य अब सरलतासे होते है। एम. एस वर्ड का हिंदी वर्जन भी बाजारमें उतारा गया है।

ऑंकडा संसाधन (डेटा प्रोसेसिंग)

वेतन बील बनाना, परिक्षा परिणाम निकालना, खाता वही बनाना जैसे प्रकार्य हिंदीमें करने हेतु सॉफ्टवेअरका निर्माण हो चुका है। सरकारी बँको तथा विश्वविद्यालयोने इस क्षेत्रमें योगदान दिया है।

१ भाषा प्रौद्योगिकी मिशन

राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग प्रमुख है।

सिस्टम सॉफ्टवेअर - हिंदीमें अपना सिस्टम कुछ समय पहले तक सॉफ्टवेअर नहीं था। किंतु अब सीडॅक द्वारा लीप नामक सॉफ्टवेअर बनाया गया। माइक्रोसॉफ्टने भी १५ ऑगस्ट, २००४ को हिंदी विंडोज उतारा है।

इंटरनेटपर हिंदी

कुछ समयसे इंटरनेटकी दुनियामें हिंदी की उपस्थिती बढ रही है। स्मार्ट फोन तथा लॅपटॉप हिंदीमें कार्य करने हेतु सक्षम हो गए है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है।

सभी प्रसिद्ध अखबारोने नेट पत्रकारिता शुरु कर दी है।

Web - duniya.com, Hindinest.com जैसे पोर्टल प्रयोगता को एकसाथ अनेक हिंदी वेबसाइटोंसे जोडते है।

अनुभूती अभिव्यक्ति काव्यालय जैसी हिंदी साहित्य को समर्पित वेबसाईट भी निर्मित हो चुकी है। ~~हंस मंथली~~ Hansmonthly.com तथा ज्ञानोदय जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ

तद्भव

पुरसतीयाँ (अनुप शुक्ला) मोहल्लाँ (अविनाश) मसीजिवी (विजयेन्द्र) जैसे प्रसिद्ध ~~चिट्ठ~~ चिठ्ठा

हिंदी विकीपिडिया, सर्वज्ञ - open sourcing vishvakosh

E - Commerce -

सभी बैंकों, बीमा कंपनियोंने हिंदी वेबसाईट बनायी है। I.T.C. ने किसानों के लिए ई - चौपाल का निर्माण किया है।

E - Governance.

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अभी वेबसाईट का हिंदी संस्करण उतार रहा है। अनेक ऑनलाईन सेवाएँ अब हिंदी में प्राप्त हो सकती है। जैसे पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रस्तुत करना।

मोबाईल में लघु संदेश सेवा

तकनिकी भाषा के रुप में हिंदी की सीमाएँ

1. ध्वनी पहचान सॉफ्टवेअर का अभाव. प्रयोगता द्वारा मौखिक आदेश देना
2. वर्तनी जॉच सॉफ्टवेअर में सटिकता का अभाव -
3. ~~बहुभाष~~ संपन्न बहुभाषी शब्दकोष का अभाव.
4. अतार्तिक ऑनलाईन अनुवाद -
5. ~~स्कॅन~~ फाईल को टेक्स्ट फाईल में रुपांतरीत करनेमें ~~कठिन~~ कठिनाई.
6. दृष्टिहिनों के लिए ~~स्क्रिन~~ लिखित संदेशको कॉम्प्युटर द्वारा पढे जाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेअर का प्रभावहीन होना.

Scanned by CamScanner

राजभाषा

यह शब्द सर्वप्रथम श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में 1949 में राष्ट्रभाषा से इतर अर्थ में प्रयुक्त किया। इसको बाद में State language को Official language में बदल दिया गया; किन्तु हिन्दी अनुवाद राजभाषा ही रखा गया।

राजभाषा का तात्पर्य है– संविधान द्वारा सरकारी कामकाज हेतु स्वीकृत भाषा।

संवैधानिक स्थिति

भाग 5, अनुच्छेद 120 (1) के अनुसार – "संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा सभापति अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।"

भाग 6, अनुच्छेद 210 के अनुसार – "राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।"

(भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है)

अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 3

343 – संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा।
अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजनों में होता रहेगा।

344 – राष्ट्रपति पाँच वर्ष और 10 वर्षों के बाद दो आयोगों का गठन करेंगे, जिसकी अनुशंसा पर संसदीय समिति राय देगी और राष्ट्रपति राजभाषा सम्बन्धी निर्देश जारी करेंगे।

346- राज्यों के बीच तथा राज्य एवम् केन्द्र में पत्राचार की भाषा संघ द्वारा निर्धारित होगी। दो राज्य आपस में परस्पर हिन्दी का प्रयोग कर सकेंगे।

348- जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी।

राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राज्यपाल उच्च-न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिन्दी या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। किन्तु यह बात निर्णय, आदेश या डिक्री पर लागू नहीं होगी।

निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे -

(क) विधेयक या प्रस्तावित संशोधन

(ख) अधिनियम, अध्यादेश

(ग) आदेश, नियम, विनियम, उपविधियाँ

अनुच्छेद 351 - संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट २२ भाषाओं में हिन्दी भी सम्मिलित है।

प्रगति

1) **1955** में राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया — "यथासंभव जनता के साथ पत्र-व्यवहार और प्रशासनिक कार्य हिन्दी में हो।"

2) **राजभाषा आयोग की संस्तुतियाँ**

(i) पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण, देवनागरी के अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकास तथा भारतीय भाषाओं में निकटता लाने हेतु प्रयास किए जाए।

(ii) हिन्दी के विकास हेतु एक प्रशासकीय इकाई बनाई जाए।

(iii) उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हो।

(iv) प्रशासनिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान करा दिया जाए।

(v) विद्यार्थियों को हिन्दी तथा हिन्दी क्षेत्र के छात्रों को एक और भाषा (विशेषतः दक्षिण भारतीय) सिखायी जाए।

(vi) प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी का प्रश्न-पत्र हो।

इन पर विचार करने हेतु संसदीय समिति गठित हुई जिसके सुझावों पर विचार कर राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया (1959)

(i) 45 वर्ष से कम आयु वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

(ii) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास हेतु आयोग का निर्माण होगा।

(iii) विधिकोश निर्माण हेतु विधायी आयोग बनाया जाएगा।

(iv) शिक्षा मंत्रालय हिन्दी के प्रचार की व्यवस्था करे।

(v) राजकाज में हिन्दी के प्रयोग हेतु गृह मंत्रालय योजना बनाए।

राजभाषा अधिनियम 1963 (1967 में यथा संशोधित)

(i) 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग यथावत चलता रहेगा।

(ii) जब तक अहिन्दी भाषी राज्य संकल्प नहीं लेंगे।

(iii) संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों को दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

(vi) उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिन्दी या राज्य स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

संकल्प, 1968

संसदीय

(i) आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं के समन्वित विकास का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

(ii) त्रिभाषा सूत्र लागू होगा।

(iii) हिन्दी के तीव्र विकास हेतु व्यापक कार्यक्रम तैयार कर प्रति वर्ष संसद को रिपोर्ट पेश होगी।

(iv) केन्द्रीय सेवा भर्ती के लिए हिन्दी अनिवार्य अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान होगा।

राजभाषा नियम, 1976

गृहमंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए 12 नियम

(i) सभी दस्तावेज हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ निकाले जायेंगे।

(ii) केन्द्र सरकार के सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, फॉर्म, पत्रशीर्ष, मुहरें आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।

(iii) हिन्दी में प्राप्त किसी भी पत्र का उत्तर हिन्दी में ही देना होगा।

(iv) राज्यों को तीन वर्गों में बाँटा गया

क वर्ग - हिन्दी भाषी 9 राज्य

ख वर्ग - पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जहाँ हिन्दी समझी जाती है

ग वर्ग - शेष सभी राज्य

(v) क क्षेत्र के साथ पत्राचार हिन्दी में होगा। ख के साथ सामान्यतः " " और ग के साथ अंग्रेजी में होगा।

(vi) इन नियमों के अनुपालन की जाँच-पड़ताल करने का दायित्व कार्यालय प्रधान का होगा।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रभाषा आन्दोलन

महात्मा गाँधी

हिन्दी के साथ महात्मा गाँधी का नाम उसी तरह जुड़ा है जिस तरह देश की स्वतंत्रता के साथ। महात्मा गाँधी ने अपने दृढ़-निश्चय, कठोर परिश्रम, मनोयोग प्रेम प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के आधार पर हिन्दी को देश भर में स्वीकार्य बनाया।

Scanned by CamScanner